59

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का रिड

बनाम

अप्रार्थी :– जवाननाथ / किशननाथ निवासी रिड अन्तर्गत धारा 91 भू.राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 59 / 2018 **निर्णय दिनांक** 28 / 08 / 2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रिड. ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद ग्राम रिड. के खसरा नम्बर 257 .में किस्म गै. मु. रास्ता .मेंसे रकबा 0.0469 .हेक्ट. भूमि में बाड. व पक्का मकान बना कर अतिकमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जवाननाथ से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलबध दस्तावेजो एवमं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम रिड के खसरा नम्बर 257 .में किस्म गै. मु. रास्ता . मेंसे रकबा 0.0469 हेक्ट. भूमि पर अतिकमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 .रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिकमित रकबा 0.0469 हेक्ट. भूमि के 0.2814 रूपये लगान का 50 गुणा-14 /– अक्षरे चौदह रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशः मांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर